न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री बनवारी लाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102/2018	04.12.2018	28.12.2018

अनवान

लोकेश पिता कालुराम मुतबन्ना रतन जाति सुथार (जागीड ब्राहम्ण) आयु बालिग निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

वादी

बनाम

1. प्रेम पिता रतन जाति सुथार (जागीड ब्राहम्ण) आयु बालिग निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
2. टीना पिता रतन जाति (जागीड ब्राहम्ण) आयु नाबालिग जरिये संरक्षक बद्री पिता काशीराम निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
3. बद्री पिता काशीराम जाति जाति सुथार (जागीड ब्राहम्ण) आयु बालिग निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
4. संदीप सिहं पिता रणवीर सिहं जाति राजपुत आयु बालिग निवासी पिपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द राज0
5. तहसीलदार साहब राशमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–	अधिवक्ता श्री हरीश जोशी	अधिवक्ता वादी।
	अधिवक्ता श्री मनोहर गोस्वामी	अधिवक्ता प्रतिवादी

–:: वादपत्र खातेदारी अधिकार की घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती ::–

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि ग्राम बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान खाता संख्या 50 अनुसार आराजी संख्या 54 रकबा 2–06 बीघा, आराजी संख्या 74 रकबा 3–02 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बिघा 8

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बिस्वा कुल लगान 13.75 रू जिसकी नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 पेश है। उक्त आराजी वर्तमान में बद्री पिता काशीराम, प्रेम, टीना नाबालिग पिता रतन लाल रूकमण पत्नि रतन लाल के नाम दर्ज रेकार्ड हैं जो गलत है। प्रेम वर्तमान में बालिग हो गई व रूकमण पत्नि रतन लाल की मृत्यु हो गई है। यह कि ग्राम बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान खाता संख्या 51 अनुसार आराजी संख्या 19 रकबा 6-19 बीघा, आराजी संख्या 69 रकबा 3-13 बीघा, आराजी संख्या 89 रकबा 3-14 बीघा कुल कीता 3 कुल रकबा 14 बिघा 6 बिस्वा कुल लगान 33.63 रूपये जिसकी नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 पेश है। उक्त आराजी वर्तमान में बद्री पिता काशीराम, प्रेम, टीना पिता रतन लाल रूकमण पत्नि रतन लाल के नाम दर्ज रेकार्ड हैं जो गलत है। प्रेम वर्तमान में बालिग हो गई व रूकमण पत्नि रतन लाल की मृत्यु हो गई है। यह कि ग्राम बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी तहसील राशमी के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान खाता संख्या 44 अनुसार आराजी संख्या 44 रकबा 5-07 बीघा कुल कीता 1 कुल रकबा 5 बिघा 7 बिस्वा कुल लगान 5.35 रूपये जिसकी नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 पेश है। उक्त आराजी वर्तमान में प्रेम, टीना नाबालिग पिता रतन लाल रूकमण पत्नि रतन लाल के नाम दर्ज रेकार्ड हैं जो गलत है। प्रेम वर्तमान में बालिग हो गई व रूकमण पत्नि रतन लाल की मृत्यु हो गई है। यह कि ग्राम कारास पटवार हल्का रेवाडा तहसील राशमी के बैरून हल्का आबादी में वर्तमान खाता संख्या 17 अनुसार आराजी संख्या 510/406 रकबा 15-04 बीघा कुल कीता 1 कुल रकबा 15 बिघा 4 बिस्वा कुल लगान 10.64 रूपये जिसकी नकल जमाबन्दी संवत् 2072से 2075 पेश है। उक्त आराजी वर्तमान में बद्री पिता काशीराम, प्रेम, टीना नाबालिग पिता रतन लाल रूकमण पत्नि रतन लाल के नाम 1/2 हिस्से से तथा संदीप सिंह पिता रणवीर सिंह के 1/2 हक हिस्से दर्ज रेकार्ड हैं जो गलत है। प्रेम वर्तमान में बालिग हो गई व रूकमण पत्नि रतन लाल की मृत्यु हो गई है। यह कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक चार में वर्णित कुलिया आराजीयात के पूर्व खातेदार के रूप में काशीराम पिता धन्ना सुथार जिनके परिवार का

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सजरा मुताबिक वाद पत्र है। यह कि मृतक खातेदार रतन के कोई पुत्र संतान नही होने के कारण वादी को उसके बचपन में ही मृतक रतन लाल ने अपनी गोद में बिठा गोद की रस्म पूरी की तथा वादी को लहरिया बधवाया गया तथा वादी के माता-पिता ने भी वादी को रतन लाल को गोद दे दिया था तथा गुड पतासे बटवाये तब से वादी मृतक खातेदार रतन लाल की हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। जिससे वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा कानून बनता है। तथा वादपत्र की कॉलम संख्या में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा कानून बनता है। तथा वादपत्र की कॉलम संख्या में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/3 हिस्सा बनाता है इसी प्रकार वादपत्र की कॉलम सख्या 4 में वादी का1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1,2 का 1/6हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा कानुन बनता है। व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा कानून बनता इसी अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे। यह कि बिनाय वाद दिनांक 21.5.2018 को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने एंव प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने से पैदा हुई जो निरन्तर जारी है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की कॉलम संख्या एक में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा कानून बनता है। तथा वादपत्र की कॉलम संख्या में वर्णित आराजीयात में वादी का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का1/2 हिस्सा कानून बनता है। तथा वादपत्र की कॉलम संख्या 3 में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 2/3 हिस्सा बनाता है इसी प्रकार वादपत्र की कॉलम सख्या 4 में वादी का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा कानून बनता है। व प्रतिवादी संख्या 4 का 1/2 हिस्सा कानून बनता इसी अनुसार वादी को खातेदार काश्तकरा घोषित फरमावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

कि अन्य अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में हो वह भी प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 18.12.2018 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 की और से उनके अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 तक की और से इकबलिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अविधक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 फोरमल पक्षकार है एवं प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली हैं प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 तक की और से इकबालिया जवाबदावा पेश होने से तनकियात कायम नहीं की गई। साक्ष्यवादी में वादी लोकेश पिता कालुराम मु० रतन का शपथ पत्र पेश हुआ। जो कि PW-1 है। स्वतंत्र गवाह नगजीराम पिता चन्द्रा जाति गाडरी निवासी बख्तावरपुरा का शपथ पत्र पेश हुआ जो कि PW-2 है। वादी ने मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 50 की नकल जमाबंदी पेश की जो कि प्रदर्श-1 है। मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 51 की नकल जमाबंदी पेश की जो कि प्रदर्श-2 है। मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 44 की नकल जमाबंदी पेश की जो कि प्रदर्श-3 है। मौजा कारास पटवार हल्का रेवाडा की संवत् 2072-2075 के खाता संख्या 17 की नकल जमाबंदी पेश की जो कि प्रदर्श-4 है। इसके साक्ष ही साक्ष्यवादी में और कोई साक्ष्य वादी की और से प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्यवादी बंद की गई। प्रतिवादीगण की और से इकबलिया जबावदावा पेश किया गया है एवं साक्ष्यप्रतिवादी नहीं करवाने का निवेदन किया गय, जिस पर साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता ने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारित किये जाने की ईश्तदुआ की एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। मृतक रतन द्वारा गोद की रस्म पूरी करना वादी द्वारा अपने

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गवाह द्वारा साबित कराया गया है एवं जिस पर प्रतिवादीगण का कोई उजर एतराज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र वादी द्वारा साबित कराया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात एवं उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बख्तवारपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 54 रकबा 2-06 बीघा आराजी संख्या 74 रकबा 3-02 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5-08 बीघा का 1/6, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 19 रकबा 6-19 बीघा आराजी संख्या 69 रकबा 3-13 बीघा आराजी संख्या 89 रकबा 3-14 कुल किता 3 कुल रकबा 14-06 बीघा का 1/6, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 44 रकबा 5-07 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5--07 बीघा का 1/3 एवं मौजा कारास पटवार हल्का रेवाडा की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 510/406 रकबा 15-04 बीघा का 1/12 हक हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की जमांबदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 50 में वर्तमान दर्ज अंकन प्रेम टीना ना.बा.ब.वि. माता रुकमण रुकमण बेवा रतनलाल सुथार के स्थान पर प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार 1/2, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की जमांबदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 51 में वर्तमान दर्ज अंकन प्रेम टीना ना.बा.ब.वि. माता रुकमण रुकमण बेवा रतनलाल जांगिड ब्राहम्ण के स्थान पर प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार 1/2, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की जमांबदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 44 में वर्तमान दर्ज अंकन प्रेम टीना पिता रतन ना.बा.व.वि. माता रुकमण रुकमण बेवा रतनलाल सुथार के स्थान पर प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार एवं मौजा कारास पटवार हल्का

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेवाडा की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 17 में दर्ज अंकन रूकमण बेवा रतन प्रेमबाई टीना पिता रतन ना.बा.ब.वि. माता रूकमण बेवा रतन के बजाय प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना. बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार 1/4 हक हिस्से से दर्ज अंकित किया जावें एवं उक्त खातों में रूकमण बेवा रतन का मृतक रूकमण के वारिसान लोकेश प्रेम एवं टीना पर यथावत रखा जावें। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री इसी अनुसार जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें। आदेश सुनाया गया।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक <u>28.12.2018</u> को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनवान

लोकेश पिता कालुराम मुतबन्ना रतन जाति सुथार (जागीड ब्राहम्ण) आयु बालिग निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

वादी

बनाम

1. प्रेम पिता रतन जाति सुथार (जागीड ब्राहम्ण) आयु बालिग निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
2. टीना पिता रतन जाति (जागीड ब्राहम्ण) आयु नाबालिग जरिये संरक्षक बद्री पिता काशीराम निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
3. बद्री पिता काशीराम जाति जाति सुथार (जागीड ब्राहम्ण) आयु बालिग निवासी बख्तावरपुरा तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0
4. संदीप सिहं पिता रणवीर सिहं जाति राजपुत आयु बालिग निवासी पिपावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द राज0
5. तहसीलदार साहब राशमी तहसील राशमी जिला चितौडगढ राज0

प्रतिवादीगण

–:: वादपत्र खातेदारी अधिकार की घौषणा, इन्द्राज दुरस्ती ::–

प्रकरण संख्या :– 102/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रूबरू श्री हरीश जोशी अधिवक्ता वादी श्री मनोहर गोस्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बख्तवारपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 54 रकबा 2–06 बीघा आराजी संख्या 74 रकबा 3–02 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 5–08 बीघा का 1/6, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 19 रकबा 6–19 बीघा आराजी संख्या 69 रकबा 3–13 बीघा आराजी संख्या 89 रकबा 3–14 कुल किता 3 कुल रकबा 14–06 बीघा का 1/6, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 44 रकबा 5–07 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 5–07 बीघा का 1/3 एवं मौजा कारास पटवार हल्का रेवाडा की विवादित आराजीयात आराजी संख्या 510/406 रकबा 15–04 बीघा का 1/12 हक हिस्से का संयुक्त खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है,

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं आदेश दिया जाता है कि मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की जमांबदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 50 में वर्तमान दर्ज अंकन प्रेम टीना ना.बा.ब.वि. माता रूकमण रूकमण बेवा रतनलाल सुथार के स्थान पर प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब. वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार 1/2, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की जमांबदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 51 में वर्तमान दर्ज अंकन प्रेम टीना ना.बा.ब.वि. माता रूकमण रूकमण बेवा रतनलाल जांगिड ब्राहम्ण के स्थान पर प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतज सुथार 1/2, मौजा बख्तावरपुरा पटवार हल्का सोमी की जमांबदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 44 में वर्तमान दर्ज अंकन प्रेम टीना पिता रतन ना.बा.व.वि. माता रूकमण रूकमण बेवा रतनलाल सुथार के स्थान पर प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार एवं मौजा कारास पटवार हल्का रेवाडा की जमाबंदी संवत् 2072-75 के खाता संख्या 17 में दर्ज अंकन रूकमण बेवा रतन प्रेमबाई टीना पिता रतन ना. बा.ब.वि. माता रूकमण बेवा रतन के बजाय प्रेम पुत्री रतन लोकेश पिता कालुराम मु0 रतन टीना ना.बा.ब.वि. काका बद्री पुत्री रतन सुथार 1/4 हक हिस्से से दर्ज अंकित किया जावें एवं उक्त खातों में रूकमण बेवा रतन का मृतक रूकमण के वारिसान लोकेश प्रेम एवं टीना पर यथावत रखा जावें। तद्नुसार जमाबंदी में अंकन किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय सरे इजलास में लिखाया जाकर आज दिनांक 28.12.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयत	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(बनवारी लाल)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official